<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर— आरसीटी / 167 / 2017</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—132 / 17</u> संस्थापित दिनांक—25.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	_
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01–किशन पुत्र मोहर	सिंह बंजारा उम्र 24 साल निवासी
मढखेडा चक	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 01.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 456, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 456, 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी पिस्ताबाई ने दिनांक 01.10.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने मकान के दलान में अकेली सो रही थी। उस दिन उसका देवर किशन सिंह उनके मकान के अंदर आया और उसे दलान से खींचकर के मकान के अंदर ले गया और बुरी नीयत से उसकी छाती दबा दी। जब वह चिल्लाई तो देवर ने उसे थप्पड मार दिया जिससे उसके बांए गाल में लगी। फिर जब वह चिल्लाई तो उसका ससुर, मोकम सिंह व धरमराज बंजारा आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 401/15 के अंतर्गत भादिव की धारा 354, 456, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 30.09.15 को समय रात करीब 11.30 बजे फिरयादिया का घर, ग्राम मढखेडा चक पर सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात् फिरयादी पिस्ताबाई के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया पिस्ताबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 पिस्ताबाई, अ.सा. 02 बिसन सिंह, अ.सा. 03 धर्मराज की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 पिस्ताबाई ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी 08-उसका देवर है तथा घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकडा था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी रात्रि में उसके ध ार में घुस आया था। अ.सा. 01 ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 बिसन सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी का उसकी पत्नी से वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार वाद-विवाद के अतिरिक्त उसकी पत्नी ने उसे और कुछ नहीं बताया। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी पत्नी को बुरी नीयत से पकडा था। अ.सा. 03 धर्मराज ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे बिसन सिंह ने घटना के बारे में बताया था। उसे बिसन सिंह ने यह बताया था कि आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ झगडा किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने भी पुलिस कथन देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

4

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के घर में रात्रि में घुसा था। प्रकरण में एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादि की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)